उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य तथा रसद अनुभाग-2

संख्या-02/2018/144/29-2-18-रिटपू0-10/11

लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री यशपाल सिंह राणा, तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा जनपद मथुरा में अपनी तैनाती की अवधि दिनांक 07-08-1989 से 31-03-1990 में बरती गयी अनियमितता एवं रू0 2,13,990.00 की शासकीय क्षति कारित होने के दृष्टिगत खाद्यायुक्त के आदेश संख्या-263/आ0पू0अधि0-185/94, दिनांक 28-02-1996 द्वारा श्री राणा को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त कार्यवाही में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के दण्डादेश संख्या-6521/आ0पू0अधि0-185/94, दिनांक 15-09-2006 द्वारा श्री राणा को निम्नवत दण्ड देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया गया-

(1) दो वार्षिक वेतनवृद्धियां क्रमिक प्रभाव से रोकी गयी।

(2) प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी।

(3) शासकीय क्षति रू0 2,13,990.50 की वसूली उनके वेतन से की जायेगी, जिसके लिए कारण बताओं नोटिस पृथक से जारी की जायेगी।

2- उक्त दण्डादेश दिनांक 15-09-2006 के अनुक्रम में प्रकरण में निहित शासकीय क्षति रू0 2,13,990.50 की वसूली के संबंध में आयुक्त , खाद्य एवं रसद विभाग के पत्रांक-7773/आ0पू0अधि0-185-14, दिनांक 28-11-2006 द्वारा श्री यशपाल सिंह राणा को कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी तथा आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के आदेश संख्या-2766/आ0पू0अधि0-185/94, दिनांक 07-08-2007 द्वारा श्री राणा से शासकीय क्षति रू0 2,13,990.50 की वसूली के आदेश निर्गत किये गये।

3- श्री यशपाल सिंह राणा, पूर्ति निरीक्षक द्वारा खाद्यायुक्त के उक्त दण्डादेश दिनांक 15-09-2006 के विरूद्ध अपील दिनांक 20-11-2006 प्रस्तुत की गयी जिसको तथ्यहीन एवं बलहीन पाते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1953/29-2-2007-पू0-184, दिनांक 13-08-2007 द्वारा निरस्त कर निस्तारित कर दिया गया।

4- श्री राणा द्वारा आयुक्त, खाद्य एवं रसद के दण्डादेश एवं शासन के अपील निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध निर्देश याचिका संख्या- 1051/07 यशपाल सिंह राणा बनाम उ0प्र0 राज्य व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 19-10-10 द्वारा खाद्यायुक्त/शासन के आदेश को निरस्त करते हुए यह निर्देश दिये गये कि याची के विरूद्ध पुन: जॉच की कार्यवाही आरोप पत्र पर प्राप्त याची के उत्तर के पश्चात की स्थिति से करे।

5- मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 19-10-10 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1724/29-2-2011-रिटपू0-10/11, दिनांक 18-10-11 द्वारा श्री यशपाल सिंह राणा, से0नि0 वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक के विरूद्ध सी0एस0आर0-351ए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए संयुक्त आयुक्त (आपूर्ति), खाद्य एवं रसद विभाग (मुख्यालय) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्णकर पत्र दिनांक 6.3.13 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री राणा के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया गया। तत्पश्चात उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, के पत्र संख्या-35(2)/12/ए0डी0सी0/सेवा-5/2013-14, दिनांक 22-11-2013 के माध्यम से प्राप्त उनकी सहमति से शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2785/29-2-13-रिटपू0-10/11, दिनांक 09-01-14 द्वारा शासकीय क्षति रू0 2,13,990.50 की वसूली उनको देय ग्रेच्युटी से करने तथा उनकी पेंशन से 25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती किए जाने का दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

6- श्री राणा द्वारा सी0एस0आर0 351ए के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्गत दण्डादेश दिनांक 09-01-14 के विरूद्ध मा0 अधिकरण में नि0या0सं0-1143/14, यशपाल सिंह राणा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 22-07-2015 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है-

"प्रस्तुत निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 09-01-2014 निरस्त किया जाता है। विपक्षी सं0-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे याची द्वारा आरोप पत्र का लिखित उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त के स्तर से जांच हेतु तिथि, समय व स्थान निर्धारित करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण करायें व याची के प्रकरण में इस आदेश की प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय लेने की कार्यवाही करें।"

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 22-7-2015 के अनुक्रम में शासन के कार्यालय आदेश संख्या- 1304/29-2-15-रिटपू0-10/11, दिनांक 21-11-2015 द्वारा श्री राणा के विरूद्ध आरोप पत्र का लिखित उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त के स्तर से जॉच किये जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग को जॉच अधिकारी नामित किया गया है। चूँकि मा0 अधिकरण द्वारा दण्डादेश दिनांक 09-01-2014 को निरस्त करने के आदेश पारित किये गये है, अत: मा0 अधिकरण के निर्णयादेश दिनांक 22-07-2015 के अनुपालन में श्री राणा के विरूद्ध शासन द्वारा पारित दण्डादेश संख्या- 2785/29-2-13-रिटपू0-10/11, दिनांक 09-01-14 को श्री राज्यपाल एतदद्वारा निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से

शीतला प्रसाद द्वितीय
विशेष सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को उनके पत्रांक-35(2)/12/ए0डी0सी0/सेवा-5/2013-14, दिनांक 22-11-2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 ।
5- जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद।
6- कोषाधिकारी गाजियाबाद को खाद्यायुक्त के माध्यम से।
7- श्री यशपाल सिंह राणा, से0नि0, वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक को खाद्यायुक्त के माध्यम से।
8- गार्ड बुक।

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।